न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 32/2017

दर्ज दिनांकः 27/04/2017

निर्णय दिनांक :14/11/2017

मुन्ना देवी चौधरी पत्नि बाबूलाल उर्फ जयनारायण जाति जाट, निवासीः मकान नंबर 31–ए, महावीर कॉलोनी, करतारपुरा फाटक बाईस गोदाम जयपुर।

---वादी

बनाम

1. नानूलाल पुत्र गौरू
2. मन्ना पुत्र जयदेवा
3. जगदीश पुत्र धन्ना
4. चतुर्भुज पुत्र जयदेवा

   समस्त जाति जाट, निवासीः चांदमा खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर।

5. मैनेजर स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा फागी।
6. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

----प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय द्वारा दिनांक 21/06/2017 को इस आशय का प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

डिक्री किया गया था कि " अतः वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 70 के आराजी खसरा नंबर 494 रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम आजनोटा, पटवार हल्का चांदमाकलां, भू.अभि.नि.क्षेत्र चांदमाकलां, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात का मौके पर कब्जे सहमति से अथवा बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर तहसीलदार फागी को नक्शे कुरैजात तैयार कर दो–दो प्रतियोमें भिजवाये जाने के आदेश दिये जाते है।"

तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई। पक्षकारान ने मुताबिक नक्शे कुरैजात वाद डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

नक्शे कुरेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। नक्शे कुरेजात निर्णयानुसार प्राप्त हुये। न्यायहित में तहसीलदार फागी से प्राप्त नक्शे कुरेजात पर पक्षकारान की सहमतिनुसार वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम आजनोटा, तहसील फागी जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	मुन्ना चौधरी पत्नि बाबूलाल उर्फ जयनारायण चौधरी जाति जाट नि. म.नं. 31ए, महावीर कॉलोनी, करतारपुरा फाटक, बाईस गोदाम, जयपुर।	494/1	15.12
2.	नानूलाल पुत्र गोरू जाति जाट सा. चांदमाखुर्द राहिन एसबीबीजे शाखा फागी	494/4	3.18

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

3.	मन्ना पुत्र जयदेवा जाति जाट सा. चांदमाखुर्द राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा।	494/5	3.18
4.	चतुर्भुज पुत्र जयदेवा जाति जाट सा. चांदमाखुर्द राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा	494/6	3.18
5.	जगदीश पुत्र धन्ना जाति जाट सा. चांदमाखुर्द।	494/3	3.18
6.	जमाबंदीनुसार शामलात	494/2	0.05

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14/11/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

मुन्ना देवी चौधरी पत्नि बाबूलाल

बनाम

नानूलाल पुत्र गोरू व अन्य

::– वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 32/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम आजनोटा, तहसील फागी जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है। राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 62 की पालना में खसरा बटा नंबरान को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। शेष विवरण पुश्त पर अंकित है।

निज.........—.........मुबलिग...................—...................बाबत.............—............................ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह..........—..........................फीसदी.....—.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.......—.......का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/11/2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा फागी (जयपुर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	NIL		फीस कमीश्नर	NIL	
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी

फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	मुन्ना चौधरी पत्नि बाबूलाल उर्फ जयनारायण चौधरी जाति जाट नि. म.नं. 31ए, महावीर कॉलोनी, करतारपुरा फाटक, बाईस गोदाम, जयपुर।	494/1	15.12
2.	नानूलाल पुत्र गोरू जाति जाट सा. चांदमाखुर्द राहिन एसबीबीजे शाखा फागी	494/4	3.18
3.	मन्ना पुत्र जयदेवा जाति जाट सा. चांदमाखुर्द राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा।	494/5	3.18
4.	चतुर्भुज पुत्र जयदेवा जाति जाट सा. चांदमाखुर्द राहिन एसबीबीजे शाखा माधोराजपुरा	494/6	3.18
5.	जगदीश पुत्र धन्ना जाति जाट सा. चांदमाखुर्द।	494/3	3.18
6.	जमाबंदीनुसार शामलात	494/2	0.05

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)